

### FAQ - डिसकनेक्शन एंड रीकनेक्शन

# प्रश्न-1 : टाटा पावर-डीडीएल किन परिस्थितियों में उपभोक्ता के बिजली कनेक्शन काटने पर मजबूर होती है?

उत्तरः जब उपभोक्ता अपना बिजली बिल का बकाया/देनदारी नहीं चुकाते हैं, तो 15 दिनों के डिस्कनेक्शन नोटिस के बाद उनका कनेक्शन काट दिया जाता है। इसके अलावा, सांविधक निकाय जब टाटा पावर-डीडीएल को कनेक्शन काटने का संकेत देते हैं और जहां टाटा पावर-डीडीएल के जोनल कर्मचारियों द्वारा साइट पर असुरक्षित परिस्थिति पाई जाती है, उस स्थिति में भी असुरक्षित परिस्थिति का नोटिस जारी करने के बाद बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है।

## प्रश्न-2 : कनेक्शन कटवाने/कनेक्शन वापस एवं सिक्योरिटी वापसी के लिए आवदेन कैसे किया जा सकता है?

उत्तर: अपने संबंधित जिला उपभोक्ता सेवा केंद्र (समय – सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक और शनिवार को सुबह 9:30 से 1:00 बजे तक) पर जाएं और निम्नलिखित दस्तावेज जमा करें:

- > आरसी ((रजिस्टर्ड उपभोक्ता) का फोटो पहचान पत्र
- 🕨 आवेदन / अनुरोध प्रपत्र आरसी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित
- नवीनतम भुगतान बिल
- > रद्द किए गए चेक की कॉपी

### प्रश्न -3: क्या कोई उपभोक्ता वर्तमान मीटर सरेंडर करने के बाद उसी मीटर के लिए आवेदन कर सकता है?

उत्तर: नहीं, उपभोक्ता को नए कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा जो नए मीटर नंबर और सीए नंबर के साथ होगा।

प्रश्न -4: बकाया राशि का आंशिक भुगतान करने के बाद पुन: आवेदन कैसे करें?



उत्तरः आंशिक भुगतान पर किसी भी प्रकार की छूट की अनुमित नहीं है। रीकनेक्शन करने के लिए, उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने कनेक्शन पर मौजूद 100% बकाया राशि का भुगतान करें और फिर संबंधित जिला उपभोक्ता सेवा केंद्र (समय – सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक और शिनवार को सुबह 9:30 बजे से 1:00 बजे तक) निम्निलिखित दस्तावेजों के साथ विजिट करें :

- > आरसी ((रजिस्टर्ड उपभोक्ता) का फोटो पहचान पत्र
- 🕨 आवेदन / अन्रोध प्रपत्र आरसी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित
- 🕨 नवीनतम भुगतान बिल

### प्रश्न - 5: 6 महीने के भीतर रीकनेक्शन के लिए क्या शुल्क हैं?

उत्तरः रीकनेक्शन शुल्क देखने के लिए यहां Click here to view क्लिक करें।

एक स्थायी डिसकनेक्शन के मामले में, पिछले बकाया और सभी लागू शुल्कों के भुगतान पर, यदि कोई हो और नए कनेक्शन के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने पर रीकनेक्शन किया जाएगा।

प्रश्न - 6: रीकनेक्शन के लिए आवेदन कैसे करें (डिसकनेक्शन के छह महीने बाद)?

उत्तरः इस मामले में, उपभोक्ता निम्नलिखित विकल्पों में से किसी माध्यम से नए कनेक्शन के लिए आवेदन करना चाहिए:

- टाटा पावर-डीडीएल कनेक्ट मोबाइल ऐप
- · हमारी वेबसाइट <u>www.tatapower-ddl.com</u> पर उपभोक्ता सेवा अनुभाग के माध्यम से ऑनलाइन
- · TPDDL NEW टाइप करें और 56070 पर भेजें
- · 19124 पर हमारे 24X7 टोल फ्री संपर्क केंद्र हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें
- अपने संबंधित जिला उपभोक्ता सेवा केंद्र (सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक और शनिवार को सुबह 9:30 बजे से 1:00 बजे तक विजिट करें)